

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8621/2020 सुलोचना जाट बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2020 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय संस्कृत में वरीयता क्रमांक 1151 पर चयनोपरान्त विभाग द्वारा याचिकार्थिया को विकल्प पत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्राथमिकताओं पर क्रमशः अंकित चूरू, बीकानेर, अजमेर व जयपुर मण्डल के स्थान पर पांचवी प्राथमिकता पर अंकित जोधपुर मण्डल आवंटित किया गया। याचिकार्थिया के कथनानुसार उसके पति शिक्षा विभाग में ही अध्यापक पद पर चूरू जिले में कार्यरत है तथा याचिकार्थिया के वृद्ध सास-ससुर की सेवा व दो अल्पायु पुत्रियों की देखरेख की सम्पूर्ण जिम्मेदारी याचिकार्थिया पर ही है, जो कि घर से 300 किमी दूर जोधपुर मण्डल में पदस्थापित रहते हुए संभव नहीं है। अतः याचिकार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर जोधपुर मण्डल के स्थान पर चूरू मण्डल आवंटित कर पदस्थापित करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश दिनांक 02.07.2020 के अनुसार "सम्भागवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी उस सम्भाग को आवंटित किए जावें। वरिष्ठ अध्यापक की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना सम्भागवार ही की जाती है अतः सम्भाग में वर्गवार (अनारक्षित श्रेणी/आरक्षित श्रेणियां यथा महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी/सहरिया/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप अभ्यर्थी के चयन वर्गवार, स्वयं के वर्ग, मेरिट के आधार पर तथा अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प पत्र में अंकित सम्भाग की प्राथमिकता के अनुसार सम्भाग आवंटन किया जावें," के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुसार ही सम्भाग आवंटन किया गया है।

वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय संस्कृत में याचिकार्थिया का आयोग द्वारा वरीयता क्रमांक 1151 वर्ग एवं चयन वर्ग OBCF पर चयन किया जाना पाया गया। विभागीय नियमानुसार याचिकार्थिया को उसके वर्ग एवं चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर उसके द्वारा दी गई संभाग की प्राथमिकता के अनुसार पांचवी प्राथमिकता पर अंकित जोधपुर मण्डल आवंटित किया गया। याचिकार्थिया के विकल्प पत्र में प्रथम चार प्राथमिकताओं पर क्रमशः अंकित चूरू, बीकानेर, अजमेर व जयपुर मण्डल में याचिकार्थिया के वर्ग एवं चयन वर्ग OBCF में अन्तिम आवंटित अभ्यर्थी का वरीयता क्रमांक क्रमशः 972, 997, 1006 व 936 है, जबकि याचिकार्थिया का वरीयता क्रमांक 1151 है। अतः वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय संस्कृत में याचिकार्थिया के वर्ग एवं चयन वर्ग OBCF में याचिकार्थिया से कनिष्ठ किसी भी अभ्यर्थी को याचिकार्थिया के विकल्प पत्र में प्रथम चार प्राथमिकताओं पर क्रमशः अंकित चूरू, बीकानेर, अजमेर व जयपुर मण्डल नियुक्ति हेतु आवंटित नहीं किया गया है।

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के बिन्दु संख्या 03 में अंकित पति-पत्नी प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल/जिला आवंटन पश्चात् काउंसिलिंग में वरीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही

पदस्थापन किए जाते हैं। याचिकाथिया द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर जोधपुर मण्डल के स्थान पर चूरु मण्डल आवंटित करने की मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकाथिया द्वारा जोधपुर मण्डल के स्थान पर चूरु मण्डल आवंटित कर पदस्थापन हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकाथिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 08/04/21

क्रमांक:- शिथिरा-मा./संस्था/एफ-2/को.के./जोध/13066/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु संभाग, चूरु
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. सहायक निदेशक (विधि) कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
6. याचिकाथिया सुलोचना जाट पुत्री श्री सीता राम जाट पत्नी श्री बाबू लाल, वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घटोर, बाप, जिला-जोधपुर (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)